न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक
24.05.2023

प्रकरण संख्या
08/2023

उनवान

1. चिरंजीव लाल खटीक पुत्र बालचन्द खटीक निवासी 309 प्रेमनगर सांगानेरी गेट भीलवाडा।

अपीलार्थी

बनाम

1. अमृतलाल पुत्र बालचन्द खटीक निवासी धानमण्डी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. निहालचन्द पुत्र बालचन्द खटीक निवासी धानमण्डी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. ग्राम पंचायत हलेड पं0 सं0 सुवाणा जिला भीलवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हलेड पं0 सं0 सुवाणा जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः—अधिवक्ता अपीलार्थी विनोद कुमार कसारा

—: अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट :—

—: निर्णय :—

दिनांक 26.03.2024

अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हलेड प0ह0 हलेड भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 406 आराजी नम्बर 1289/4 रकबा 1.0748 है., आराजी नम्बर 1291/1 रकबा 0.6196 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.6944 हैकटेयर भूमि स्थित है। अपील में वर्णित आराजियात अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मोहन पुत्र रामा नायक निवासी हलेड से दिनांक 22.11.1983 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के जरिये कय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की है। अपीलार्थी का नाम चिरंजीव लाल खटीक है व अपीलार्थी के आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र व पैन कार्ड व सभी दस्तावेज में अपीलार्थी का नाम चिरंजीव लाल खटीक हे व अपीलार्थी के पक्ष में जो विकय पत्र पंजीयन हुआ है, जिसमें भी अपीलार्थी का नाम चिरंजीव लाल अंकित है। दिनांक 17.05.2023 को अपीलार्थी जो कि पटवार हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने हेतु गया तो अपीलार्थी को जानकारी में आया कि अपील की चरण संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

के वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम चिरंजीवलाल के बजाय चिरंजीलाल अंकित कर दिया है।

इस पर अपीलार्थी द्वारा जानकारी कर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त की तब अपीलार्थी को जानकारी में आया कि अपीलार्थी द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये कय की जिसमें अपीलार्थी का नाम चिरंजीव लाल अंकित होते हुए भी राजस्व कर्मचारियो द्वारा लापरवाही पूर्वक अपीलार्थी का नाम चिरंजीवलाल के बजाय चिरंजीलाल नामान्तरकरण में भर दिया व उक्त नामान्तरकरण फैसल कर दिया। जिससे राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम चिरंजीवलाल के बजाय चिरंजीलाल दर्ज चला आ रहा है। उक्त गलत नाम इन्द्राज रहने से अपीलार्थी के वैध हक अधिकारो का हनन् हो रहा है। अपीलार्थी ने अपने अपील के समर्थन में ग्राम हलेड के नामान्तरकरण संख्या 579 निर्णय दिनांक 19.05.1984 की प्रमाणित प्रति एवं जमाबन्दी संवत 2069 से 2073 की प्रति एवं विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 22.11.1983 की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया विलम्ब के समय को कण्डोन करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत हलेड द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 19.05.1984 में चिरंजीलाल पुत्र बालचन्द के बजाय चिरंजीवलाल पुत्र बालचन्द दुरूस्त कराया जाने व इसी अनुसार रेकार्ड में नाम इन्द्राज कराये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 05 कानून मियाद अधिनियम पर अपीलार्थी को सुनकर अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षम्य करते हुए दफा 05 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्टगण उपस्थित नही। अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए ग्राम हलेड के नामान्तरकरण संख्या 579 निर्णय दिनांक 19.05.1984 ग्राम पंचायत सुवाणा में पारित आदेश के सन्दर्भ में राजस्व रेकार्ड में चिरंजीलाल पुत्र बालचन्द के बजाय चिरंजीवलाल पुत्र बालचन्द दुरूस्त कराये जाने की प्रार्थना की गई है। नामान्तरकरण संख्या 579 को पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1983 के आधार पर भरते समय केता का नाम चिरंजीवलाल पिता बालचन्द खटीक के बजाय चिरंजीलाल पिता बालचन्द खटीक अंकित कर दिया गया इस प्रकार पटवारी हल्का ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1983 के अनुसार नामान्तरकरण में इन्द्राज नही किया जिससे नामान्तरण में चिरंजीलाल पिता बालचन्द अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। सरपंच ग्राम पंचायत हलेड ने नामान्तरकरण को स्वीकृत करते समय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में केता का नाम चिरंजीवलाल होते हुए भी चिरंजीलाल के नाम इन्द्राज करने के आदेश प्रदान किये है जो त्रुटिपूर्ण है। नामान्तरकरण संख्या 579 निर्णय दिनांक 19.05.1984 अपास्त योग्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1983 के आधार पर पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः एवं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

:: आदेश ::

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार की जाकर ग्राम हलेड पटवार हल्का हलेड भू अ0नि0 सुवाणा तहसील भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 579 में पारित आदेश दिनांक 19.05.1984 ग्राम पंचायत हलेड को अपास्त किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण को रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1983 में अंकित चिरंजीव लाल पुत्र बालचन्द खटीक का नाम अंकित है। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित नाम अनुसार चिरंजीलाल के बजाय चिरंजीवलाल पुत्र बालचन्द खटीक अंकित करने की पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा